प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) 13 नवम्बर 1967 को उत्तर दिया गया अतारांकित प्रश्न संख्या केवल जवानों से संबंधित था, अर्थात् जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अवर श्रेणियों से। उनके संबंध में किसी मान्य हस्पताल में बिताई गई समस्त अवधि ड्यूटी गिनी जाती है, और पूर्ण वेतन और भत्ते दिये हैं। हस्पताल से डिसचार्ज के पश्चात् सक्षम चिकित्सा अधिकरण की सिफारिश पर पूर्ण वेतन और भत्तों सहित बीमारी की छुट्टी दी जाती है, जो एक अवधि तक सीमित होती है, जिसमें युक्तियुक्त रूप से सेविवर्ग के ड्यूटी के लिये योग्य होने की आशा की जा सकती है।

इसके विरुद्ध सेवाओं के अफसर वार्षिक छुट्टी समेत 6 मास के लिये, पूरे वेतन पर बीमारी की छुट्टी और उसके पश्चात् फर्लो की (अर्थात् पूरे वेतन के 50 प्रतिशत) दर पर 24 मास तक की अवधि तक के लिये बीमारी की छुट्टी के अधिकारी हैं। तदपि विशेषरूप से उन अफसरों को जो 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान या 1965 के भारत पाक युद्ध में घायल हुये थे हस्पताल में बिताई पूरी अवधि के लिये पूरे वेतन पर बीमारी की छुट्टी प्रदान की गई थी।

अफसरों द्वारा हस्पताल के बाहर बिताए गए 6 मासों से अधिक अवकाश के दौरान, साधारण नियमों के अन्तर्गत वेतन के फर्लो पर दिये हैं। तदपि, हाल में ऐसा फैसला किया गया है कि, युद्ध क्षेत्र में घायल हुये अफसरों की हालत में उपरोक्त 6 मास से अधिक की अवधि के लिये अधिकाधिक 90 दिनों के लिए और अवधि तक के लिये पूरे वेतन पर बीमारी की छुट्टी दी जाएगी, परन्तु इस शर्त पर कि ऐसी छुट्टी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिये किसी सक्षम चिकित्सा अधिकरण द्वारा दी गई हो। यह निर्णय भारत पाक संघर्ष के दौरान पहले घायल हुये अफसरों के मामलों में भी लागू होगा।

COMMERCIAL BROADCASTS OVER A.I.R.

2082. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state what are the commodities or items specified for commercial broadcasts over the A.I.R. and the advertisers' response thereto?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): All commodities and services which are not specifically banned under the law of the land can be advertised over the Commercial Broadcasting Services of All India Radio. The advertisers' response to the Service has been excellent. Demand for time far exceeds availability.

MOUNTAIN DIVISIONS

2083. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many units of the Mountain Division have been stationed in plains; and

(b) if so, the steps taken to ensure that the training and acclimatisation of the personnel is not effected thereby?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) Some units forming part of mountain divisions are stationed in the plains.

(b) Personnel of mountain divisions cannot remain, for prolonged periods, in high altitudes. Hence, some of the units are brought, by turns, to peace stations. After a spell in the rear, they re-join their parent divisions. Arrangements exist for acclimatisation and training of these personnel, before they re-join the mountain divisions.

चलचित्र सेंसर समिति

2084. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलचित्रों का सेन्सर करने के सम्बन्ध में नये सिद्धांत निर्धारित करने के लिये एक समिति नियुक्त की है; और